डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249] रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2001—कार्तिक 9, शक 1923

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 4 736/2001/स्वा.—प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का सं. 57) की धारा 17 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये राज्य स्तर पर सलाहकार समिति गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष स्त्री रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
2. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
3. प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष भेषज विज्ञान विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
4. जिला अभियोजन अधिकारी, रायपुर
5. संचालक जनसंपर्क
6. श्री महेश्वर पैकरा, अंबिकापुर, सामाजिक कार्यकर्त्ता
7. श्रीमती स्नेहलता शर्मा, रायगढ़, सामाजिक कार्यकर्त्ता
8. डॉ. एम. के खंडूजा, भिलाई, सामाजिक कार्यकर्त्ता.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2001

क्रमांक 4737/2001/स्वा.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4736/2001/स्वा., दिनांक 31-10-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

Raipur, the 31st October 2001

NOTIFICATION

No. 4736/2001/H.—In exercise of powers conferred by sub-section (5) of Section 17 of the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of misuse) Act, 1994 (No. 57 of 1994) the State Government, hereby constitutes advisory committee at State level for the purpose as specified in sub-section (2) of Section 4 of the said Act which consists of the following members :—

1. Professor and Head of the Department of Obstetrics and Gynecology, Medical College, Raipur.
2. Professor and Head of the Department of Pediatrics, Medical College, Raipur.
3. Professor and Head of the Department of Medicine, Medical College, Raipur.
4. Public Prosecutor, Raipur.
5. Director Public Relations.
6. Shri Maheshwar Paikra, Ambikapur, Social Worker.
7. Smt. Snehlata Sharma, Raigarh, Social Worker.
8. Dr. M. K. Khanduja, Bhilai, Social Worker.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALOK SHUKLA, Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 4738/2001/स्वा.—प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का क्रमांक 57) की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को संपूर्ण राज्य सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

Raipur, the 31st October 2001

NOTIFICATION

No. 4738/2001/H.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 17 and read with clause (b) of sub-section (3) of Section 17 of the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of misuse) Act 1994 (No. 57 of 1994) the State Government, hereby appoints Director Health Services as Appropriate Authority for the entire State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.